27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 को सहखातेदारो के सहमतीपत्र, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश / परिपत्र क्र. BR/LR/NLRMP/F-126/ पार्ट-2/ 10164-96 दिनांक 26.09.2017 के निर्देशानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)

संख्या : 54/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. श्री ठाकर लाल पिता कूका धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
2. श्री घीसा लाल पिता हरिराम धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
3. शंभुलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
4. श्रीमति शांतिबाई पति लक्ष्मण धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 4

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को उपस्थित होने पर सुना गया एवं निर्णय आदेश हेतु पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 869 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम उमर का खाल में न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ के वाद संख्या 68/2007 में हुए निर्णय की पालना में ना.सं. 144 दायर हो दिनांक 25.02.2010 को प्रमाणित हुआ है। मौजा उमरका खाल में आराजी नं0 153 रकबा 1.07 हैक्टर भूमि में श्री माधू मुत0 लाला 1/3 ठाकरी पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम 1/3, शंभुलाल पिता देवीलाल 35/132 श्रीमति शांतिबाई पति लक्ष्मण 3/44 धाकड सा0देह के नाम दर्ज हुआ है। ना0सं0 144 अनुसार माधु मुत0 लाला को आ.नं. 153 मे से 0.24 हैक्टर एवं शेष आ.नं. 153 मी. रकबा 0.83 हैक्टर मे ठाकरी पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम 1/3, शंभुलाल पिता देवीलाल 35/132 शांतिबाई पति लक्ष्मण 3/44 धाकड सा.देह शेष जमाबंदी बदस्तुर का निर्णय हुआ है। उक्त नामा.सं. 144 मे शेष जमाबंदी बदस्तूर 1/3 किन खातेदारो के जायेगा व क्या हिस्से रहेगें, स्पष्ट नहीं होने से आगामी जमाबंदी में उक्त ना.सं. 144 के अमल में शेष 1/3 हिस्से सभी खातेदारो ठाकरी पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम शंभुलाल पिता देवीलाल श्रीमति शांतिबाई पति लक्ष्मण का नाम सामुहिक रूप से अमल में किया जो आज दिनांक तक बदस्तूर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

....लगातार

Scanned by CamScanner

अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश कमांक 10164—96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि उक्त भूमि में वक्त भू—प्रबंध खातेदार लाला कूका प्रभू पिता चुन्नीलाल धाकड सा0देह के नाम कुल किता 19 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा यानि 4.52 हैक्टर भूमि हिस्सा बराबर से दर्ज रेकार्ड थीं। आ.नं. 153 रकबा 1.07 हैक्टर में प्रभू के हिस्से के बेचान से शंभूलाल पिता देवीलाल हि. 35/132 व शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण धाकड हि. 3/44 का नाम दर्ज हुआ है, जो रकबा 0.285 हैक्टर व 0.075 हैक्टर बनता है। इसके उपरान्त खातेदार माधू मुत. लाला द्वारा सभी आराजी किता— 19 रकबा 4.52 हैक्टर में स्वयं का हिस्सा 1/3 न्यायालय से विभाजन करा लिया गया परन्तु वादी माधू मुत. लाला को कब्जेनुसार आराजी नं. 68, 139, 154, 156, 158 किता 5 रकबा 1.27 हैक्टर सम्पूर्ण 4.52 का 1/3 1.51 बनता है का शेष रकबा आराजी नं0 153 मे से 0.24 हैक्टर विभाजन से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आ.नं. 153 मे 0.36 हैक्टर के बजाय 0.24 हैक्टर ही वादी माधू के हिस्से में आने से 153 मे शेष रकबा 0.83 हैक्टर बचा है जो 0.12 हैटर बेशी है जिससे अन्य खातेदारो के साथ केतागणों का हिस्सा भी बेशी हो रहा है। केता शंभूलाल पिता देवीलाल का हक 0.285 हैक्टर व शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण का 0.075 हैक्टर पर है जो बेचान पत्र अनुसार है। तथा केतागणो का 0.285 व 0.075 है. अनुसार ही आ.नं. 153 रकबा 0.83 मे हिस्से दर्ज किये जावे ताकी मूल खातेदार [illegible] को अन्य [illegible] में कम हो रहा है आराजी नं. 153 मे बेशी होना चाहिये जिससे सभी खातेदार सहमत है।

रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा उमरकाखाल में श्री लाला कूका प्रभू पिता चुन्नीलाल धाकड हि.ब. के नाम किता— 19 रकबा 4.52 हैक्टर भूमि दर्ज होकर एक आराजी 153 रकबा 1.07 हैक्टर में प्रभू के हिस्से के बेचान से (ना.सं. 99,106) शंभूलाल पिता देवीलाल हिस्सा 35/132 व श्रीमति शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण धाकड हि. 3/44 जो रकबा कमशः 0.285 हैक्टर व 0.075 हैक्टर बनता है के नाम दर्ज हुआ है। एक खातेदार माधू मुत. लाला द्वारा किता 19 रकबा 4.52 हैक्टर में स्वयं का 1/3 हिस्सा न्यायालय में [illegible] दायर कर विभाजन कराया गया। परन्तु कब्जेनुसार विभाजन से माधू मुत.लाला के आ.नं. 68, 139, 154, 156, 158 किता 5 रकबा 1.27 व आ.नं. 153 मे रकबा 0.24 हैक्टर विभाजन से दर्ज किया गया। इस प्रकार आराजी नं. 153 मे शेष रकबा 0.83 हैक्टर रहा जो 1/3 हिस्सा अलग करने पर 0.36 हैक्टर के स्थान पर 0.24 हैक्टर माधू मुत. लाला के दर्ज करने से 0.12 हैक्टर अधिक शेष रहा जिससे केतागण का हिस्सा बेशी हो रहा है, जबकि केतागण का कयशुदा रकबा शंभुलाल के 0.285 हैक्टर व शांतिबाई के 0.075 हैक्टर रजिस्ट्री मुताबिक है। अतः आराजी नं. 153 मी. रकबा 0.83 हैक्टर में केतागण का रकबा अनुसार हिस्से दर्ज किया

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

जाना उचित है ताकि शेष हिस्सा मूलखातेदारों के दर्ज रह सके। मौजा उमरका खाल में आराजी नम्बर 153मी. रकबा 0.83 हैक्टर में ठाकर लाल पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम हि.ब. हिस्सा 94/166 शंभुलाल पिता देवीलाल हिस्सा 57/166, श्रीमति शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण 15/166 धाकड सा.देह रहन बदस्तुर हिस्सा घोषित किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा उमर का खाल की आराजी नम्बर 153 मी. रकबा 0.83 हैक्टर में ठाकर लाल पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम हि.ब. हिस्सा 94/166 शंभुलाल पिता देवीलाल हिस्सा 57/166, श्रीमति शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण 15/166 धाकड सा.देह रहन बदस्तुर हिस्सा दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़

27/6/19

(रमेश [illegible] पुनोड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 54/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. श्री ठाकर लाल पिता कूका धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
2. श्री घीसा लाल पिता हरिराम धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
3. शंभुलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ
4. श्रीमति शांतिबाई पति लक्ष्मण धाकड निवासी अमर का खाल तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चंन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा उमर का खाल की आराजी नम्बर 153 मी. रकबा 0. 83 हैक्टर में ठाकर लाल पिता कूका घीसालाल पिता हरिराम हि.ब. हिस्सा 94/166 शंभुलाल पिता देवीलाल हिस्सा 57/166, श्रीमति शांतिबाई पत्नि लक्ष्मण 15/166 धाकड सा.देह रहन बदस्तुर हिस्सा दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़

27/6/19

(रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner